Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 100-104

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता : चुनौतियाँ और सम्भावनाएँ

डॉ. सुभाष चन्द्र

सहायक आचार्य (गेस्ट फैकल्टी), राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, नेछवा, सीकर (राजस्थान)

शोध सारांश

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के व्यापार को नियंत्रित करके परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इस समूह के गठन का प्रमुख उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है ताकि परमाणु आतंकवाद जैसी गैर-कानूनी और हिंसक गतिविधियों एवं कार्यों को रोका जा सके। भारत अभी तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं बन सका है। भारत के इस समूह का सदस्य बनने में प्रमुख बाधा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) है, क्योंकि इस समूह का सदस्य बनने के लिए एनपीटी पर हस्ताक्षर होना आवश्यक शर्त है। जबकि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यदि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता प्राप्त हो जाती हैं तो भारत को परमाणु उर्जा के उत्पादन से संबंधित सामग्री और उच्च तकनीक प्राप्त होने के मार्ग खुल जाएंगे। प्रस्तुत शोध-पत्र में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता की यात्रा, सदस्यता के मार्ग आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता से भारत को होने वाले फायदों का विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

संकेताक्षर—*एनएसजी, परमाणु अप्रसार, भारत, एनपीटी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु हथियार*

प्रस्तावना

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह उन देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु सामग्री की आपूर्ति करते हैं तथा परमाणु प्रौद्योगिकी और विखंडनीय सामग्रियों के व्यापार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, साथ ही यह संगठन परमाणु हथियारों के अप्रसार से भी जुड़ा हुआ है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। यह समूह उस समय अस्तित्व में आया जब भारत ने मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम किया था। उस समय परमाणु शक्ति संपन्न देशों को यह विश्वास हो गया था कि केवल परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) परमाणु हथियारों के प्रसार को रोक नहीं सकेगी। परिणामस्वरुप वर्ष 1974 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का गठन किया गया। वर्तमान में इस समूह के सदस्य देशों की संख्या 48 हैं और भारत इस समूह 49 वां सदस्य बनना चाहता है। इस समूह में शामिल 48 देश निम्नवत हैं-अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, चेकगणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, कजाखिस्तान, कोरिया गणराज्य, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। इन 48 देशों में पांच देश परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन

है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य भी हैं। इस समूह में शामिल देश परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में काम आने वाली तकनीक और सामग्रियों का एक-दूसरे को आयात-निर्यात करते हैं। यह समूह इस बात को सुनिश्चित करता है कि परमाणु तकनीक, प्रौद्योगिकी और सामग्रियों का उपयोग केवल मानव हित के लिए हो, किसी प्रकार के सैन्य उपयोग के लिऐं ना हो। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में किसी नवीन देश को तभी प्रवेश मिल सकता है जब सभी 48 देश सर्वसम्मति से उस देश का समर्थन करें। भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के लिऐं पहली बार वर्ष 2008 में आवेदन किया था परंतु चीन के विरोध के कारण भारत इस समूह का सदस्य नहीं बन सका।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता की यात्रा

वर्तमान में भारत, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं है। हालांकि सदस्यता प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा भरसक प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता की नींव उसे समय पड़ी जब वर्ष 2005 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के मध्य असैन्य परमाणु समझौते के लिए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया था। इसके तहत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) और व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि (सीटीबीटी) पर हस्ताक्षर किए बिना अमेरिका, भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने को तैयार हुआ था। भारत ने पहली बार न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की सदस्यता के लिए वर्ष 2008 में आवेदन किया था, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। भारत ने पुनः मई 2016 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए आवेदन किया था जिसके संबंध में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) के मुख्यालय विएना (ऑस्ट्रिया) में बैठक हुई थी, परंतु इस बैठक में भी चीन के विरोध के कारण कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका। एनएसजी में शामिल होने के लिए इसके सभी 48 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। समूह के किसी एक सदस्य के विरोध करने पर भी नवीन देश को इस समूह की सदस्यता नहीं दी जा सकती है। 48 सदस्यों वाले इस समूह में चीन को छोड़कर लगभग सभी देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे बड़े देशों ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की सदस्यता का विरोध करता है। चीन का मानना है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए प्रवेश की सभी शर्तों का कठोरता से पालन होना चाहिए। चीन का स्पष्ट कहना है कि एनएसजी की सदस्यता उन्हीं देशों को मिलनी चाहिए जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर किए हो।

चीन परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों के एनएसजी में प्रवेश को एक भेदभावपूर्ण मानदंड मानता है। परंतु चीन का यह विरोध एक खुला रहस्य है, चीन का यह प्रतिरोध अपने सहयोगी और मित्र देश पाकिस्तान के प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए है। परंतु एनएसजी में प्रवेश के लिए पाकिस्तान की साख संदेह के घेरे में है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों का कठोरता के साथ पालन किया है और एनपीटी एवं एनएसजी के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए स्वैच्छिक उपाय किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने ऐसे कोई उपाय नहीं किए हैं। यहां तक कि वैश्विक एजेंसियां पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ लगने की संभावना भी जता चुकी है।

चीन के विरोध के बावजूद मेक्सिको और स्विट्जरलैंड ने भारत की एनएसजी की सदस्यता का समर्थन कर दिया है। मेक्सिको और स्विट्जरलैंड पहले भारत की सदस्यता के विरुद्ध थे। अमेरिका, भारत की सदस्यता का प्रबल समर्थन कर रहा है और वह इसके लिए लॉबिंग एवं दबाव की नीतियों का भी सहारा ले रहा है। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन करते हुए कहा है कि वह इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले साझेदारों के साथ अपने भागीदारी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में भारत और अमेरिका की ओर से जारी एक साझा बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकार्बनन (डीकार्बोनाइजेशन) के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। दोनों देशों के शासनाध्यक्षों ने जलवायु ऊर्जा संक्रमण (एनर्जी ट्रांजिशन) और राष्ट्रों की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जाको एक जरूरी संसाधन माना है। बयान में दोनों देशों के नेताओं ने घरेलू बाजार और निर्यात के लिए अगली पीढ़ी की छोटी

ISSN 2348-3857

मॉड्यूलर प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर चल रही चर्चा का भी जिक्र किया है।

अमेरिका और रूस द्वारा भारत को समर्थन देने का कारण केवल भावनात्मक नहीं है, अपितु समर्थन का कारण आर्थिक अधिक है। भारत के एनएसजी में शामिल होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस भारत में निवेश कर सकेंगे। 14 मार्च 2019 को वाशिंगटन में भारत के विदेश सचिव विजय गोखले और अमेरिका के स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एण्ड इंनटरनेशनल सिक्योरिटी विभाग की अंडर सेक्रेटरी एंडरिया थॉम्पसन के मध्य इस बात की सहमती बनी कि अमेरिका, भारत में 6 परमाणु उर्जा संयन्त्रों का निर्माण करेगा। रूस भी कई नाभिकीय संयंत्रों से जुड़ा हुआ है। भारत अपनी उर्जा जरूरतों के लिए नाभिकीय रिएक्टर्स निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत को प्रौद्योगिकी तथा यूरेनियम की आवश्यकता है और इसके लिए एनएसजी का सदस्य बनना जरूरी है।

सदस्यता के मार्ग की चुनौतियाँ

भारत की सदस्यता के मार्ग की दो प्रमुख चुनौतिया हैं जिनसे भारत को निपटना हैं। पहली चुनौती साम्यवादी चीन हैं और दूसरी चुनौती परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) हैं। चीन कभी नहीं चाहेगा की भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता प्राप्त हों, क्योंकि चीन को लगता है कि यदि भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता प्राप्त हो जायेगी तो विश्व में भारत का राजनीतिक महत्त्व बढ़ जायेगा तथा अंतरिक्ष और सैन्य क्षेत्र में भारत, चीन से आगे निकल जायेगा। जिससे चीन का एशिया में दबदबा कम हो जायेगा। भारत के लिये दूसरी प्रमुख चुनौती परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) हैं। परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य होना परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता प्राप्ति की आवश्यक शर्त हैं। जबकी भारत उन पांच देशों में शामिल हैं जिन्होंने या तो इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं अथवा बाद में इस संधि से अलग हो गये हैं। भारत के अलावा इनमे पाकिस्तान, इजरायल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान शामिल हैं। भारत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) को भेदभावपूर्ण मानता हैं क्योंकि यह संधि केवल उन देशों को ही परमाणु शक्ति सम्पन्न मानती हैं जिन्होने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया था। जबकी भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था। परमाणु अप्रसार संधि (1968) के गठन का प्रमुख उद्देश्य विश्वभर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना हैं।

सदस्यता की सम्भावनाएँ

भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। फिर भी भारत का परमाणु अप्रसार के मामले में रिकॉर्ड पूरी तरह पाक साफ है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की नीति तेजी से लागू की है इसे और भी अधिक सफल बनाने के लिए भारत को परमाणु तकनीकी तथा सामग्री की आवश्यकता है जो एनएसजी की सदस्यता मिलने पर ही पूरी होगी। इसके अलावा भारत का अमेरिका सहित अन्य देशों से भी असैन्य परमाणु करार है, जिसके कारण भारत को अमेरिका सहित कई देशों से परमाणु सामग्री मिलती है जो एनएसजी में सदस्यता के लिए एक प्रमुख आधार है। भारत ने पिछले दशक में परमाणु अप्रसार से संबंधित मानकों को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (आईएईए) के साथ एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल की पुष्टि की हैं। इस प्रोटोकॉल में यह तय किया गया हैं कि भारत के नागरिक रिएक्टर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत हैं और निरीक्षण के लिये खुले हैं। भारत वर्ष 1957 से ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी (आईएईए) का सस्थापक सदस्य हैं। जनवरी 2020 में भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के रिस्पोंस एण्ड असिस्टेंट नेटवर्क में शामिल हो गया था। रिस्पोंस एण्ड असिस्टेंट नेटवर्क उन देशों का एक समूह हैं जो परमाणु या रेडियोलोजिकल आपात स्थितियों के परिणामों को कम करने सहायता प्रदान करते हैं। भारत का पड़ोसी साम्यवादी चीन भी आने वाले समय में अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुये भारत की सदस्यता का समर्थन कर सकता हैं। वर्तमान में चीन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीरदार देश हैं।

भारत को एनएसजी की सदस्यता से होने वाले फायदे

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता मिलने पर भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्यों से अत्याधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी दिला सकेगी। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम उपलब्ध हो सकेगा। भारत परमाणु उर्जा सामग्री का

हस्तांतरण, परमाणु संयंत्रों की स्थापना एवं उससे सम्बंधित तकनीकी का विकास कर सकेगा, जिससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढावा मिलेगा। नवीनतम प्रोधोगिकी के उपयोग के साथ भारत परमाणु उर्जा उपकरणों का व्यावसायीकरण कर सकेगा जो मानव संसाधन के विकास व नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक लाभ के लिय भी उपयोगी हो सकेगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता प्राप्त होने पर भारत को मिसाइल तथा उपग्रहों के निर्माण में नवीन तकनीकों का लाभ मिलेगा और उपग्रहों के प्रक्षेपण की नवीन प्रविधियां भी मिल सकेंगीं। पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी हैं। इसके लिए भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाना होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब भारत एनएसजी की सदस्यता हासिल कर ले। नामीबिया का यूरेनियम उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। वर्ष 2009 में नामीबिया भारत को यूरेनियम बेचने पर सहमत हुआ था परंतु पेलिंडाबा संधि के कारण ऐसा नहीं हो सका। नामीबिया ने पेलिंडाबा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, यह संधि अफ्रीका से विश्व के अन्य देशों में यूरेनियम के निर्यात को नियंत्रित करती है। यदि भारत एनएसजी में शामिल हो जाता है तो नामीबिया की पेलिंडाबा संधि से संबंधित आपत्तियां दूर हो जाएगी। भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह मे प्रवेश से पाकिस्तान की सदस्यता की मांग स्थगित हो जाएगी और पाकिस्तान द्वारा परमाणु शक्ति के दुरूपयोग की सम्भावनाओं पर भी रोक लग सकेगी।

निष्कर्ष

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है साथ ही एक परमाणु शक्ति संपन्न देश भी है। भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं। जिसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ज्ञातव्य हैं कि भारत को वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करना हैं, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में 40 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा का होगा। जिसके परिणामस्वरुप भारत भविष्य की अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकेगा। भारत परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि तभी कर सकता हैं जब वह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) का सदस्य बन जाएं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनने पर ही भारत को उच्च परमाणु तकनीकी प्राप्त हो सकेगी तथा दूसरे देशों से यूरेनियम आयात कर सकेगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल देश उन देशों को यूरेनियम का निर्यात नहीं करते हैं जो इस समूह या परमाणु अप्रसार संधि के सदस्य नहीं हैं। भारत की यही स्थिति हैं। भारत को अगली पीढ़ी की नाभिकीय प्रौद्योगिकी के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता आवश्यक हों जाती है। हालांकि एनएसजी में भारत की सदस्यता एक दृष्टिकोण से औपचारिक ही प्रतीत होती हैं। क्योंकि भारत के कई देशों के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही समझौते हैं, जो भारत को परमाणु सामग्री और तकनीकी उपलब्ध कराते हैं।

गौरतलब है कि भारत परमाणु ऊर्जा का निर्यात भी शुरू कर चुका हैं। इस संबंध में विगत वर्षों में कई देशों के साथ समझौते हो चुके हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता वैश्विक स्तर पर भारत को सकारात्मकता प्रदान करेगी। क्योंकि एक तरफ जहां भारत को अनौपचारिक रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में जाना जाएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रवेश के लिए एनएसजी की शर्तों में शिथिलता भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्ता को सूचित करेगी। क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ ही परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का गठन हुआ था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजगोपालन, एन., इंडिया और एनएसजीः इटस् सिम्पल पॉवर पॉलिटिक्स, इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल, नई दिल्ली, वॉल्यूम 11, इश्यू 3, जुलाई-सितम्बर 2016, पृ.सं. 120-122
2. गुप्ता, यू.एन., इंटरनेशनल न्युक्लियर डिप्लोमेशी एण्ड इंडिया, अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2007, पृ.सं. 130-132
3. योन, जे.सी., ए पथ टू एनएसजीः इंडिया राइज इन द ग्लोबल न्युक्लियर ऑर्डर, राइजिंग पॉवर क्वाटर्ली, इस्तांबुल, वॉल्यूम 2, इश्यू 3, 2017, पृ.सं. 19-24
4. सुनयना, इंडियाज मेंबरशिप इन द एनएसजी, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च, अहमदाबाद, वॉल्यूम 5, इश्यू 10, अक्टूबर 2016, पृ.सं. 243-244
5. भूयान, ए., न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एण्ड इंडियाः प्रोस्पेक्टस् एण्ड चैलेन्जस्, कलिंगा पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2022, पृ.सं. 108-110
6. आदिल, ए.एम., एन एनालिटिकल स्टडी ऑन द न्युक्लियर

सप्लायर्स ग्रुप एण्ड इंडियाज् नीड फॉर एनएसजी मेंबरशिप, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोवेल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, अहमदाबाद, वॉल्यूम 8, इश्यू 7, जुलाई 2023, पृ.सं. 833-834

7. मुराद, एम., न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मेंबरशिपः द केश ऑफ इंडिया एण्ड पाकिस्तान, ग्लोबल पॉलिटिकल रिव्यू, पेशावर, वॉल्यूम 3, इश्यू 2, 2018, पृ.सं. 33-35

8. राजगोपालन, आर. एण्ड विश्वास, ए., इंडियाज् मेंबरशिप टू द न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली, वॉल्यूम 141, मई 2016, पृ.सं. 32-35

9. नयन, राजीव, द न्युक्लियर नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीट्री एण्ड इंडिया, रूटलेज, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 7-9